

( राजस्थान—सरकार )

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 02/2024

पंजीकरण संख्या :- 2024/97

### बउनवान

राकेश बोयत आयु 47वर्ष (पूर्व जिला प्रमुख, जिला परिषद, बूंदी) पुत्र श्री मदनलाल निवासी गुरुनानक कॉलोनी, बूंदी (राज.)

(प्रार्थी)

### बनाम

1. भैरूलाल पुत्र श्री पांच्या उर्फ पांचूलाल कबाड़ी निवासी कबाड़ी मौहल्ला, छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारों(राज.)
2. श्रीमान् तहसीलदार, छबड़ा जिला बारों (राज.)
3. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, छबड़ा जिला बारों (राज.)

(अप्रार्थीगण)

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार, छबड़ा के द्वारा दर्ज नामांतरण संख्या 472 दिनांक 12.09.2003 वाके ग्राम रीछड़ा तहसील छबड़ा से अप्रसन्न होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध

उपस्थित :- 1- श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (प्रार्थी)  
2- श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1)  
3- परोकार सरकार (अप्रार्थी क्रम 2 व 3)

### निर्णय दिनांक 02.12.2024

प्रार्थी द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक तहसीलदार, छबड़ा के द्वारा दर्ज नामांतरण संख्या 472 दिनांक 12.09.2003 वाके ग्राम रीछड़ा तहसील छबड़ा जिला बारों से अप्रसन्न होकर रेफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया और तहसीलदार छबड़ा से मूल नामांतरण तलब किया गया जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 02 एवं 03 की ओर से परोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में तहसीलदार छबड़ा द्वारा पत्रांक 4420 दिनांक 22.08.2024 से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की जाकर अंतिम बहस सुनी गई।

**प्रार्थी के अभिभाषक** द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के संपूर्ण कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम रीछड़ा जिला बारों में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 69 खसरा 299 कुल रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा भैरूलाल पुत्र पांच्या जाति कबाड़ी साकिन देह हिस्सा संपूर्ण खातेदार दर्ज है जिसे नामांतरण संख्या 472 दिनांक 12.09.2003 द्वारा जाति कबाड़ी के स्थान पर बैरवा दर्ज करने का नामांतरण स्वीकार किया गया है। नामांतरण रजिस्टर के कॉलम नंबर 14 में उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के आदेश क्रमांक वि.सी. 03 दिनांक 12.09.2003 से जाति शुद्धि के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया जाना दर्ज है, जबकि अप्रार्थी क्रम 01 ने खसरा संख्या 299 ग्राम रीछड़ा की भूमि में कबाड़ी जाति को बैरवा दर्ज करने का कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। खसरा संख्या 90, 91 व 3 के प्रार्थना पत्र को ही सम्मिलित करते हुए अप्रार्थी क्रम 01 की जाति बैरवा दर्ज कर दी गई जबकि खसरा सं. 299 ग्राम रीछड़ा के बाबत् उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। अप्रार्थी क्रम

01 मूल रूप से कस्बा छबड़ा, कबाड़ी मोहल्ला जिला बारां का निवासी है। इनके पिता पांच्या पुत्र मांग्या के खाते में ग्राम छबड़ा में खसरा नंबर 3,90,91,1323,1324 व 1325 एवं पिता पांच्या के भाई अमरा के खसरा नं. 37,38,62,662,667,683, 704,705,1320,1322,1326,1327 व 1328 में पूर्व में एवं वर्तमान में परिजनों के नाम कृषि भूमियां स्थित है, जिनमें प्रारंभ से ही इनकी जाति कबाड़ी दर्ज है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की सूची क्रम 01 से 59 में कबाड़ी जाति दर्ज नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 01 के पिता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं होने से उनके पुत्र अप्रार्थी क्रम 01 भी जन्म से अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है।

अप्रार्थी क्रम 01 वर्तमान व पूर्व से ही छबड़ा सहित अनेक गांव जैसे खातोली, किशोरपुरा, चांचोडा, रीछडा, बाहरी आदि गांवों में कबाड़ी जाति के भाई-बंधुओं परिवार सहित सैकड़ों परिवार निवास कर रहे है, जिन्होंने समय-समय पर अपनी कृषि भूमियों में स्वयं को सामान्य जाति के सदस्य होना प्रकट करते हुये सामान्य जाति के खरीददारों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा अनेकों व्यक्तियों को बेचान किया हुआ है, इससे प्रकट होता है कि कबाड़ी जाति के सदस्य सामान्य जाति का सदस्य मानते है, वे अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है अन्यथा धारा-42(बी) राज.टी.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य के खातेदारी की कृषि भूमि को सामान्य जाति के सदस्य को किये गये विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं किया जा सकता है।

ग्राम छबड़ा जिला बारां की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 मे अप्रार्थी क्रम-1 भैरूलाल पुत्र पांच्या 1/2 हिस्सा जाति कबाड़ी दर्ज है तथा शेष 1/2 हिस्से मे 4 व्यक्ति मुसलमान सामान्य जाति के क्रमशः 1- नसीम बानो पुत्री हबीबुल्ला खॉ, 2- रूबीना मुमताज पुत्री हबीबुल्ला खॉ, 3- राशि खॉ पुत्र हबीबुल्ला खॉ एवं 4- शाहिना बानो पुत्री हबीबुल्ला खॉ खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी खाता संख्या 325 की खसरा नम्बर 1324 रकबा 0.0885 है वाके ग्राम छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां मे अप्रार्थी क्रम 1 भैरूलाल आ0 पांच्या वल्द मांग्या जाति कबाड़ी हिस्सा 1/2 दर्ज है। यह जमाबन्दी नवाब राजाओं के राज के समय से चली आ रही है। यदि अप्रार्थी क्रम 1 भैरूलाल अनुसूचित जाति के सदस्य होते तो उनकी सहखातेदारी गैर अनुसूचित जाति के सदस्य सामान्य जाति का मुसलमान व्यक्तियों के साथ नही हो सकती थी।

अप्रार्थी क्रम 01 के भाई चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी ने इस रेफरेंस से संबंधित नामांतरण को आधार बनाकर स्वयं की जाति कबाड़ी के बजाय बैरवा दर्ज करवाते हुए अनुसूचित जाति के अनेक प्रमाण पत्र (कोटा-बूंदी जिले से) जारी करवा लिये तथा राजस्थान विधानसभा के0पाटन (185) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसकी मनमोहन बैरवा व प्रार्थी स्वयं ने आपत्ति की थी। इस प्रकार प्रार्थी इस नामांतरण में अप्रार्थी चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी की जाति कबाड़ी से बैरवा दर्ज करने के आदेश से प्रभावित पक्षकार है।

अप्रार्थी क्रम 01 के भाई चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी के खिलाफ अनुसूचित जाति का सदस्य होने का प्रमाण पत्र के बाबत जिला स्तरीय छानबीन समिति, बूंदी (राज.) के समक्ष शिकायत की। जांच के दौरान उक्त नामांतरण की जानकारी हुई है, इससे पूर्व उक्त नामांतरण के बारे में प्रार्थी को जानकारी नहीं थी। न्यायालय श्रीमान अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के0 पाटन जिला बूंदी के आदेश दिनांक 21.06.2024 बमुकदमा मनमोहन बनाम चुन्नीलाल उर्फ सी.एल. प्रेमी वगैराह प्रकरण संख्या 149/2023 पुलिस थाना के0 पाटन जिला बूंदी के खिलाफ न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 01 बूंदी केम्प के0 पाटन में आपराधिक निगरानी याचिका 99/2024 मनमोहन बनाम राज. राज्य व अन्य आगामी पेशी दिनांक 24.10.2024 होना उल्लेखित किया है।

अध्यक्ष जिला स्तरीय छानबीन समिति व जिला कलक्टर, बूंदी के आदेश दिनांक 06.03.2024 के खिलाफ अपील राकेश बोयत बनाम चुन्नीलाल उर्फ सी.एल.प्रेमी श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राज्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के यहां विचाराधीन है जिसकी आगामी पेशी दिनांक 20.09.2024 होना उल्लेखित किया है।

उपरोक्त नामान्तरण सर्वथा गैरकानूनी एवं अवैध है तथा इस प्रकार के नामान्तरण प्रभावी बने रहने से वास्तविक अनुसूचित जाति के सदस्यों को आरक्षण का लाभ मिलने से वंचित रह जाते हैं तथा फर्जी व कुट रचित प्रमाण पत्र बनवाकर अप्रार्थीगण दुरुपयोग कर रहे हैं, इस कारण नामान्तरण पर रेफरेन्स किया जाकर निरस्त करवाया जाना न्यायोचित है।

यह कि भारत का संविधान (भाग 16— कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध) में वर्णित अनुच्छेद 341, अनुसूचित जातियों के भाग—(1) राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें से यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रायोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा व (2) संसद विधि द्वारा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्णरूपेण अवहेलना की गई है। इस प्रकार इस प्रकरण में विवादित नामान्तरण द्वारा अप्रार्थीगण की जाति कबाड़ी के स्थान पर बैरवा संसोधित दर्ज कर दी गई है, जिससे संविधान के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना हुई है, जो विधि के अनुसार दंडनीय है। ज्ञातव्य है कि कबाड़ी जाति राजस्थान प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 01 से 59 में दर्ज नहीं है, जबकि बैरवा अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 05 पर दर्ज है। इस संशोधन द्वारा अप्रार्थीगण ने स्वयं को अवैध एवं असत्य रूप से सामान्य कबाड़ी जाति के सदस्य होते हुए अनुसूचित जाति बैरवा दर्ज करवा लिया है। इस प्रविष्टि के आधार पर अप्रार्थीगण ने बारां, कोटा व बूंदी तीन जिलों से राजस्थान सरकार समाज कल्याण विभाग क्रमांक प-एफ 1(8)आरएंडपी/सकवि/22422-48 दिनांक 04.04.1990 के आदेश की अवहेलना कर नियम विरुद्ध अनुसूचित जाति के अनेक जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अप्रार्थी चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी ने अनुसूचित जाति के लिए राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित केशोरायपाटन (185) जिला बूंदी (राज.) विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर निर्वाचित विधायक घोषित करवा लिया है।

इसी प्रकार तहसील छबडा के क्षेत्र में निवास करने वाले कबाड़ी जाति के लोगों के द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटिशन नं. 12348/2021 बउनवान बैरवा कबाड़ी समाज विकास समिति बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स में कबाड़ी जाति को अनुसूचित जाति बैरवा दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत पीटिशन में दिये गये राज्य सरकार के द्वारा सशपथ-जवाब में इन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं माना है व उनके द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि विरुद्ध माना है। जिसकी आगामी पेशी दिनांक 17.10.2024 होना उल्लेखित किया है।

यह कि 16वीं राजस्थान विधान सभा के सत्र-2 का तारांकित प्रश्न सं.-2082/राजस्व द्वारा श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (52) माननीय विधायक का उत्तर सूची क्रमांक 328 सूचीबद्ध दिनांक 31.07.2024 के प्रश्न के उत्तर के संबंध में कार्यालय तहसीलदार छबडा जिला बारां के पत्र क्रमांक/रीडर/2024/83 दिनांक 30.07.2024 व राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र क्र./एफ.11(0)वि.स./अन्य विभाग प्रश्न/बीसी/सान्याअधि/2024 राजकाज 9370285 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर राजस्व विभाग के द्वारा दिये गये जवाब में कबाड़ी जाति को राजस्थान की अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति में नहीं आती है, का उत्तर प्रस्तुत किया है।

यह कि 16 वीं राज. विधान सभा के सत्र-2 के कार्य संचालन संबंधी नियम 295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव द्वारा श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (52) माननीय विधायक ने दिनांक 03.07.2024 समय 9:45 ए.एम. पर प्रस्ताव संख्या 10/295 सदन के पटल पर लगाया व दि. 04.07.2024 को सदन में पठन किया जिसमें स्वयं माननीय विधायक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व संसद द्वारा प्रतिबंधित नियम विरुद्ध जाति का व व्यक्तिगत लोगो के नाम लेकर प्रस्ताव को पढा जिसका जवाब राजस्व विभाग से आना शेष है।

यह कि 16 वीं राज. विधान सभा के सत्र-2 के कार्य संचालन संबंधी नियम 131 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह सिंघवी(94) माननीय विधायक के द्वारा सं.-611/131 विषय- बारों जिले में कबाडी जाति के कुछ लोगों द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाया जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में प्रस्तुत किया जिसके उत्तर दिनांक 04.08.2024 में निम्न प्रति उत्तर प्राप्त हुआ- शंकास्पद, फर्जी/झूठा जाति प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति में एवं जाति प्रमाण पत्र की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त जाति प्रमाण पत्र के परीक्षण/जांच हेतु प्रत्येक जिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2015 (प्रति संलग्न) को जिला स्तरीय छानबीन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी या शिकायतकर्ता के असंतुष्ट होने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति में अपील किये जाने का प्रावधान है। (प्रति संलग्न) ऐसे प्रमाण पत्रों के मामले में अंतिम निस्तारण राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा किया जाता है। बारों जिले में कबाडी जाति के अनुसूचित जाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष इस प्रकार के कोई प्रकरण/परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।

इस परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख व अवलोकन न्याय निर्णय की दिशा में सहयोगी होगा, जो निम्नानुसार है :-

1. Ramkumar VS State of Raj.- RRD-1992, Page no.-17
2. Lamuram VS State of Raj.- RRD-1989, Page no.- 45
3. State of Raj. VS Bagda RRD-1981, Page no.-75
4. Bhairoo VS State of Raj.- RRD-1980, Page no.- 657
5. Aironline 1979 SC 5 Radha Bai Ananda Rao VS Suvarna Kumar , Decision Date- 11-10-1979
6. Air 1965 SC 1557 :: 1965 JABLU 860, Bhaiya Lal VS Harikishan Singh & ors. Decision Date- 05-02-1965
7. Air 1996 SC 2306 :: 1996 AIR SCW 782, Nityanand Sharma & another VS State of Bihar & ors. Decision Date- 02-02-1996
8. Air 1996 SC 991 :: 1990 LAB. I.C. 707, Srish Kumar choudhury VS State of Tripura & ors. Decision Date- 23-02-1990
9. Air 1966 SC 1728 :: 1996 AIR SCW 1943, Pankaj Kumar Saha VS The SDO, Islampur & ors. Decision Date- 12-02-1996

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या-472 दिनांक 12.09.2003 ग्राम रीछडा तहसील छबडा जिला बारों (राज.) को रेफरेंस दर्ज किया जाकर नामान्तरण निरस्त किये जाने के लिए राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा जावे। विकल्प में तहसीलदार छबडा जिला बारों को उक्त नामान्तरण के विरुद्ध रेफरेंस प्रस्तुत किये जाने का निर्देश प्रदान किया जावे।

**अप्रार्थी क्रम 01 के अभिभाषक द्वारा** लिखित बहस के संपूर्ण कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से लिखित बहस की चरण संख्या 1 लगायत 9 असत्य व तथ्यहीन होने से स्वीकार नहीं है। उक्त समस्त तथ्य प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पूर्व में अंकित किया है, जिसका जवाब अप्रार्थी द्वारा विस्तृत रूप से पेश किया जा चुका है, तथ्यों की पुर्नवर्ति न हो इस वजह से चरण वाईज जवाब न देते हुये, जवाब को भी

लिखित बहस का भाग मानते हुये संक्षिप्त में निम्न लिखित बहस प्रस्तुत है। अप्रार्थी क्रम 01 की जाति पूर्व में चमार बाद में बैरवा रही है, अप्रार्थी क्रम 01 के पिता व परदादा चमार जो कि अनुसूचित जाति में आती है, के सदस्य रहे है तथा अप्रार्थी क्रम 01 के समस्त परिवार की शादी भी बैरवा जाति में हुई है तथा रहन-सहन व रीति-रिवाज भी समस्त बैरवा जाति के अनुसार ही है। अप्रार्थी क्रम 01 के पिता पांच्या उर्फ पांचूलाल पुत्र मांग्या जाति चमार निवासी छबड़ा था जिसके खाते कब्जों की कृषि भूमि ग्राम रीछड़ा में विस्थित थी, जिसका मिसल बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व अर्थात् सन् 1955 से 1974 की जो मिसल बंदोबस्त सेटलमेंट विभाग ने बनाई थी, की खसरा संख्या 299 की मिसल बंदोबस्त में बतौर खातेदार अप्रार्थी क्रम 01 के पिता पांच्या वल्द मांग्या जाति चमार (कबाडी) निवासी छबड़ा अंकित है, तथा जमाबंदी संवत् 2019 से 2023 में भी अप्रार्थी क्रम 01 के पिता का नाम पांच्या वल्द मांग्या जाति चमार (कबाडी) रेकार्ड में दर्ज है, इस प्रकार आज से 70 वर्ष पूर्व के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के पिता की जाति चमार दर्ज है, यह विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी व्यक्ति की जाति, उसके पिता की जाति के अनुसार ही होती है।

संवत् 2019 से 2023 के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा जो रोटेशन जमाबंदी बनाई गई, उसमें अप्रार्थी क्रम 01 के पिता की जाति को राजस्व अधिकारियों के द्वारा बिना किसी अधिकारिता के राजस्व अभिलेखों में चमार को हटा दिया और मात्र कबाडी रहने दिया, उक्त गलती राजस्व कर्मचारी द्वारा गैरकानूनी तरीके से की गई है। अप्रार्थी क्रम 01 की जाति शुरू से ही चमार रही है जो वर्तमान में बैरवा से संबोधित होती है। सन् 2003 में अप्रार्थी क्रम 01 को जैसे ही पता चला कि राजस्व अधिकारी द्वारा बिना किसी अधिकारिता के अप्रार्थी क्रम 01 के राजस्व अभिलेखों में चमार शब्द को विलोपित कर दिया है, अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष शुद्धि हेतु प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही करते हुये, सक्षम अधिकारी द्वारा समग्र जांच करने व रेकार्ड देखने तथा गवाहान के बयानात के आधार पर उक्त गलती को दुरुस्त करते हुये नामान्तकरण संख्या 472 दिनांक 12.09.2003 से बैरवा जाति दर्ज कर दिया जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही व न्याय संगत है।

यह कि प्रार्थी अप्रार्थी से राजनैतिक रंजिश रखता है तथा पूर्व में विधानसभा क्षेत्र के0 पाटन से अप्रार्थी के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है और हार जाने के कारण राजनैतिक द्वेषतावश विभिन्न जगहों पर शिकायतें प्रार्थी द्वारा की गई है, जिसमें से एक शिकायत, जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष भी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायत की थी, जिस पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जिला स्तरीय छानबीन समिति बूंदी की बैठक बुलाई गई और दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 06.05.2024 को प्रार्थी के द्वारा की गई शिकायत को खारिज करते हुये, उपखण्ड अधिकारी केशोराय पाटन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वैध माना है, इस प्रकार जिला स्तरीय छानबीन समिति बूंदी द्वारा बाद छानबीन अप्रार्थी की जाति बैरवा मानी गई है।

यह कि मनमोहन बैरवा द्वारा इस इस्तगासा अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान ए.सी.जे.एम. के0 पाटन के अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,120 बी.आई.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था, जिसको भी माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. के0 पाटन द्वारा दिनांक 21.06.2024 को प्रथम दृष्टया ही खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा अन्य व्यक्ति के संबंध में कथन किये गये है कि कबाडी जाति के व्यक्तियों द्वारा सामान्य व्यक्तियों को कृषि भूमि विक्रय की है, उक्त तथ्यों से अप्रार्थी का कोई संबंध नहीं होने के कारण जवाब दिया जाना न्यायोचित नहीं है, किसी भी व्यक्ति के कार्य से अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यदि अन्य व्यक्तियों द्वारा कानून का उल्लंघन कर कृषि भूमि विक्रय की है तो उससे प्रार्थी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही प्रार्थी का ऐसे कार्यों के प्रति कोई उत्तरदायित्व है।

यह कि जाति का मामला व्यक्तिगत होता है, प्रार्थी को रेफरेंस करवाने का कोई अधिकार नहीं है, उक्त कार्यवाही में प्रार्थी की हैसियत एक स्ट्रेन्जर व्यक्ति के रूप में है, जिसको उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही ऐसे प्रार्थना पत्र के आधार पर रेफरेंस किया जा सकता है। यह कि नामान्तरण सन् 2003 में ही तस्दीक हो चुका है तथा पूर्व में राजस्व अधिकारी की गलती को मात्र कानूनी रूप से दुरुस्त किया गया है जिसके लिये सक्षम अधिकारी कानूनी रूप से दायित्वाधिन थे तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से भी समय समय पर ऐसी गलतियों के निर्देश जारी किये जाते हैं कि जिनके अनुसरण में ही सक्षम अधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेखों में दुरुस्त किया गया है।

यह कि प्रार्थी द्वारा अतिविलम्ब से रेफरेंस किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि पूर्व से ही प्रार्थी को समस्त तथ्यों का ज्ञान था, देर से आवेदन प्रस्तुत करने का कारण प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किया है, मियाद अधिनियम के अन्तर्गत भी उक्त रेफरेंस लिमिटेशन के आधार पर भी रेफरेंस किया जाना कानूनी रूप से सही नहीं है, ऐसी स्थिति में भी रेफरेंस किया जाना न्यायोचित नहीं है। यह कि प्रार्थी द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला दिया गया है, उसके संबंध में निवेदन है कि अप्रार्थी का जो जाति प्रमाण पत्र बना है उसमें किसी भी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं होता है। प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर अनुसूचित जाति की लिस्ट में परिवर्तन व संशोधन बाबत है अप्रार्थी द्वारा अनुसूचित जाति की सूची के अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जो कि अप्रार्थी का अधिकार है।

यह कि 16वीं विधानसभा के सत्र 2 में विभिन्न विधायकों द्वारा तारांकित प्रश्नों के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कानून सम्मत जवाब दिया है, यहां पर लेख है कि अप्रार्थी क्रम 01 की जाति कबाड़ी न होकर बैरवा जाति है, इस वजह से तारांकित प्रश्नों का उक्त रेफरेंस किये जाने से कोई संबंध नहीं है। मियाद अधिनियम के अनुसार उक्त रेफरेंस समय बाधित होने से निम्न कानूनी नज़ीरें प्रस्तुत हैं—

1. 2019 एस.सी.सी. ऑन लाईन, राज. 7800, भगवान सहाय बनाम स्टेट (राज. हाईकोर्ट)
2. 2009 एस.सी.सी. ऑन लाईन, राज. 1400, बाबूसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (राज. हाईकोर्ट)

जिला स्तरीय छानबीन समिति के निर्णय दिनांक 06.05.2024 व ए.सी.जे.एम के0पाटन के निर्णय दिनांक 21.06.2024 के निर्णयों को मध्य नजर रखते हुये रेफरेंस किये जाने का कोई आधार प्रार्थी प्रस्तुत नहीं कर सका है तथा प्रार्थी की हैसियत यहां पर अजनबी व्यक्ति के रूप में तथा काफी समय निकल जाने के बाद में प्रार्थी ने राजनैतिक द्वेषतावश नामांतरण के संबंध में रेफरेंस किए जाने की मांग की है जो कानूनी रूप से समय बाधित होने व ऊपर वर्णित अन्य कारणों से कानूनी सम्मत नहीं होने व निराधार होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। नामांतरण संख्या 472 जो कि दिनांक 12.09.2003 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत तत्कालीन सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट, छबड़ा के द्वारा पटवारी कानूनगो व तहसीलदार से जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णित किया गया था। उक्त आदेश से यदि आवेदक व्यथित है या ऊपर वर्णित नामांतरण से आवेदक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील अंदर मियाद प्रस्तुत कर सकता है, कानून में नामांतरण की अपील का प्रावधान है, जहां अपील का प्रावधान है वहां रेफरेंस के लिए आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः आवेदन खारिज योग्य है। प्रार्थी को अप्रार्थी के भू-अभिलेख में दर्ज जाति से आपत्ति है। जाति के निस्तारण का अधिकार जिला स्तरीय छानबीन समिति राज्य स्तरीय समिति और अंतिम रूप से सिविल कोर्ट का श्रवणाधिकार है। रेफरेंस के माध्यम से जाति संबंधी विवाद हल नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इसलिये प्रकरण पर साबित नहीं होते हैं कि अप्रार्थी की जाति पूर्व में राजस्व रिकार्ड में चमार अंकित थी जो बाद

में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के आदेश से बैरवा संबोधित की गई न कि जाति बदली गई। अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

**अप्रार्थी क्रम 02 व 03 की ओर से परोकार सरकार द्वारा** दौराने बहस कहा गया कि प्रकरण में तहसीलदार, छबड़ा द्वारा दर्ज नामांतरण संख्या 472 दिनांक 12.09.2003 ग्राम रीछडा तहसील छबड़ा जिला बारां के संबंध में निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम 01 भैरूलाल पुत्र पांचूलाल बैरवा (कबाडी) निवासी छबड़ा जिला बारां द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा तहसीलदार छबड़ा को मार्क किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का एवं जिला परिषद् सदस्य एवं वार्ड पार्षद की रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा आदेश क्रमांक वि.शिविर 03/27 दिनांक 12.09.2003 से पूर्व प्रदत्त प्रमाण पत्र व अन्य सत्यापन के आधार पर जमाबंदी में नामांतरण खोलकर जाति परिवर्तन की नियमानुसार स्वीकृति जारी की गई एवं उसके पश्चात् तहसीलदार, छबड़ा द्वारा पटवारी हल्का को नामांतरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया। इस प्रकार तहसीलदार, छबड़ा द्वारा उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा की स्वीकृति से दर्ज किया गया नामांतरण सही प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

**प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक** की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी क्रम 01 की जाति पूर्व में कबाडी राजस्व रिकार्ड में अंकित थी जो बाद में तहसीलदार, छबड़ा द्वारा दर्ज नामांतरण सं. 472 दिनांक 12.09.2003 ग्राम रीछडा तहसील छबड़ा जिला बारां से बैरवा गलत दर्ज की गई। अप्रार्थी क्रम 01 के अभिभाषक का कथन है कि पूर्व में अप्रार्थी क्रम 01 के पिता की जाति मिसल बंदोबस्त संवत् 2012-2031 में पांच्या वल्द मांग्या जाति चमार कबाडी दर्ज रेकार्ड है। बाद की जमाबंदी संवत् 2019-2023 रोटेशन जमाबंदी में भी पांच्या वल्द मांग्या जाति (चमार) कबाडी दर्ज रेकार्ड है। इसके बाद राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी क्रम 01 की जाति कबाडी दर्ज की गई। इसका ज्ञान अप्रार्थी क्रम 01 को होने पर उसके द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा को विकास शिविर में दिनांक 12.09.2003 को अप्रार्थी क्रम 01 की जाति चमार शब्द को जाति सूचक अपमानजनक मानते हुए राजस्व लेखों में चमार शब्द के स्थान पर बैरवा अंकित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा राज्य सरकार, राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर से जारी परिपत्र क्रमांक: प-5 (8)राज-4/83 राज-6/15 दिनांक 01.11.96 से इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.12.1995 के द्वारा सभी जिला कलक्टरों को यह निर्देश दिये गये थे कि राजस्व अभिलेख में काश्तकारों के जाति नाम उपखण्ड अधिकारी जांच करने के पश्चात् भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 व राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 की धारा 369 के अन्तर्गत उक्त अभिलेख में जाति संबंधित त्रुटियों को संबंधित पक्षकारों को नोटिस देकर एवं सुनकर दुरुस्त करने के आदेश दिये गये हैं। जिसके अनुरूप अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वांछित रिपोर्ट ली जाकर तहसीलदार, छबड़ा को अप्रार्थी क्रम 01 की राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी क्रम 1 की जाति (चमार) कबाडी के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए और उसके पश्चात् उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, छबड़ा द्वारा दर्ज नामांतरण सं. 472 दिनांक 12.09.2003 ग्राम रीछडा तहसील छबड़ा जिला बारां से अप्रार्थी क्रम 01 की जाति बैरवा दर्ज की गई।

तहसीलदार, छबड़ा से प्राप्त मूल नामांतरण एवं उभयपक्ष के अभिभाषकगण के कथनानुसार समस्त जमाबंदियों का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि मिसल बंदोबस्त संवत् 2012-2031 में पांच्या वल्द मांग्या जाति चमार कबाडी दर्ज रेकार्ड है। बाद की जमाबंदी संवत् 2019-2023 रोटेशन जमाबंदी में भी पांच्या वल्द मांग्या जाति (चमार) कबाडी दर्ज रेकार्ड है। इसके पश्चात् अप्रार्थी क्रम 01 की जाति राजस्व अभिलेखों में कबाडी अंकित हुई।

प्रकरण में प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में हस्तलिखित कंप्यूटर टाइपिंग के माध्यम से स्वयं द्वारा तैयार किया गया रजिस्टर खतोनी/खतोनी बंदोबस्त/जमाबंदी(खतोनी) ग्राम छबड़ा पटवार क्षेत्र खोपर (सा. छबड़ा जिला बाहरी) तह. छबड़ा जिला बाराँ सन् 1939-2023(सम्बत् 1991-2079 तक) प्रस्तुत किया गया है जिसके संलग्न खसरा गिरदावरी, नामान्तरण, खसरा मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदियों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, जो अप्रमाणित एवं हस्तलिखित अस्पष्ट होने के कारण रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता।

प्रकरण में तहसीलदार, छबड़ा द्वारा दर्ज नामान्तरण संख्या 472 दिनांक 12.09.2003 ग्राम रीछड़ा तहसील छबड़ा जिला बाराँ का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अप्रार्थी क्रम 01 भैरूलाल पुत्र पांचूलाल बैरवा (कबाडी) निवासी छबड़ा जिला बाराँ द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा तहसीलदार छबड़ा को मार्क किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसकी पुष्टि जिला परिषद् सदस्य एवं वार्ड पार्षद द्वारा की गई। उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा द्वारा आदेश क्रमांक विकास शिविर 03/27 दि. 12.09.2003 से पूर्व प्रदत्त प्रमाण पत्र व अन्य सत्यापन के आधार पर जमाबंदी में नामान्तरण खोलकर जाति परिवर्तन की नियमानुसार स्वीकृति जारी की गई एवं उसके पश्चात् तहसीलदार, छबड़ा द्वारा पटवारी हल्का को नामान्तरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया। इस प्रकार नामान्तरण तहसीलदार, छबड़ा द्वारा नियमानुसार उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा की स्वीकृति से दर्ज किया गया है। (उक्त मूल आदेश मूल नामान्तरण सं. 472 दिनांक 12.09.2003 ग्राम रीछड़ा तहसील छबड़ा की जिल्द में चस्पा है जिसका अंकन नामान्तरण की कॉलम संख्या 14 में हो रहा है।) उक्तानुसार जाति दुरुस्ती हेतु तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा राज्य सरकार, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर से उपरोक्तानुसार अंकित परिपत्र क्रमांक: प-5 (8)राज-4/83 राज-6/15 दिनांक 01.11.96 व परिपत्र दिनांक 26.12.1995 के परिपेक्ष में आदेश जारी किया जाना प्रतीत होता है।

चूंकि उक्तानुसार तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी छबड़ा के आदेश की पालना में दर्ज किया गया है यदि उक्त आदेश से किसी व्यक्ति को आपत्ति थी तो नियमानुसार उक्त आदेश की सक्षम न्यायालय में तत्समय अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। अतः उक्तानुसार दर्ज नामान्तरण में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से प्रकरण में तहसीलदार, छबड़ा द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के आदेश से दर्ज नामान्तरण संख्या 472 दिनांक 12.09.2003 ग्राम रीछड़ा तहसील छबड़ा जिला बाराँ में यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः प्रकरण में उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण रेफरेंस अनुशंषा योग्य नहीं पाये जाने से इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

निर्णय आज दिनांक **02.12.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )  
अति० जिला कलक्टर,  
बाराँ